

निर्देश:

(1) दस्तावेज, जिन्हें पहचान एवं पते के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता है (यदि पेन के लिए आवेदन किया गया हो और मद 17 को पूर्ण किया गया हो, तो आवश्यक नहीं) :-

क्रमांक	दस्तावेज की प्रकृति	दस्तावेज का कोड	पहचान का साक्ष्य	पते का साक्ष्य
ए. व्यक्तियों एवं एचयूएफ के लिए				
1.	आधार कार्ड	01	हाँ	हाँ
2.	बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, जिसमें व्यक्ति का फोटोग्राफ लगा हो	02	हाँ	हाँ
3.	चुनावकर्ता का फोटो पहचान पत्रक	03	हाँ	हाँ
4.	राशन/सार्वजनिक वितरण प्रणाली पत्रक जिसमें व्यक्ति का फोटोग्राफ लगा हो	04	हाँ	हाँ
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	05	हाँ	हाँ
6.	पासपोर्ट	06	हाँ	हाँ
7.	पेंशनर फोटो कार्ड	07	हाँ	हाँ
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) जॉब कार्ड	08	हाँ	हाँ
9.	जाति या निवास प्रमाण-पत्र जिस पर व्यक्ति का फोटोग्राफ लगा हो	09	हाँ	हाँ
10.	पहचान/पते का प्रमाण-पत्र, जिस पर किसी सांसद या विधायक या निगम पार्षद या किसी गजटेड अधिकारी के हस्ताक्षर हों, जैसा कि फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक ए में बताया गया है.	10	हाँ	हाँ
11.	फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक बी के अनुसार नियोक्ता का प्रमाण-पत्र	11	हाँ	हाँ
12.	किसान पासबुक जिसमें फोटो लगा हो	12	हाँ	नहीं
13.	शस्त्र का लाइसेंस	13	हाँ	नहीं
14.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना/पूर्व-सैनिक योगदानकारी स्वास्थ्य योजना पत्रक	14	हाँ	नहीं
15.	शासन/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	15	हाँ	नहीं
16.	बिजली का बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	16	नहीं	हाँ
17.	लैंडलाइन टेलीफोन का बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	17	नहीं	हाँ
18.	पानी का बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	18	नहीं	हाँ
19.	उपभोक्ता गैस कार्ड/बुक या पाइपड गैस बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	19	नहीं	हाँ
20.	बैंक खाता-विवरण (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	20	नहीं	हाँ
21.	क्रेडिट कार्ड खाता-विवरण (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	21	नहीं	हाँ
22.	डिपॉजिटरी खाता-विवरण (3 माह से अधिक पुराना नहीं)	22	नहीं	हाँ
23.	संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज	23	नहीं	हाँ
24.	शासन की ओर से आवास का आवंटन पत्र	24	नहीं	हाँ
25.	जीवनसाथी का पासपोर्ट जिसमें व्यक्ति का नाम हो	25	नहीं	हाँ
26.	संपत्ति कर भुगतान प्राप्ति (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं)	26	नहीं	हाँ
बी व्यक्तियों के संगठन (न्यासों) के लिए				
	न्यास अनुबंध की प्रति या पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रति जो चेरिटी कमिश्नर द्वारा जारी हो	27	हाँ	हाँ
सी व्यक्तियों के संगठन (न्यास के अतिरिक्त) या व्यक्तियों के निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति				
	चेरिटी कमिश्नर या सहकारी समिति के पंजीयक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रति या अनुबंध की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज जो किसी केन्द्र या राज्य सरकार के विभाग से मिला हो, जो ऐसे व्यक्ति की पहचान एवं उसके पते को प्रमाणित करे.	28	हाँ	हाँ

(2) किसी अवयस्क के नाम से लेनदेन होने की स्थिति में, ऐसे अवयस्क के किसी अभिभावक/संरक्षक की पहचान एवं पते के साक्ष्य के रूप में उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी को भी अवयस्क घोषणाकर्ता की पहचान एवं पते का प्रमाण माना जाएगा, और घोषणा पर अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए.

(3) एचयूएफ के लिए, एचयूएफ के कर्ता के नाम से कोई दस्तावेज आवश्यक है.

(4) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से लेनदेन होने के मामले में, व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख क्र. 14 में होना चाहिए और लेनदेन की कुल राशि क्र. 13 में दर्ज की जानी चाहिए.

लेनदेन का प्रकार:

01-अचल संपत्ति का विक्रय	02-अचल संपत्ति का क्रय	03-किसी मोटर वाहन का विक्रय	04-किसी मोटर वाहन का क्रय	05-सावधि जमा में निवेश	06-नकदी में जमा	07-प्रतिभूतियों का विक्रय	08-प्रतिभूतियों का क्रय
09-कोई खाता खोलना (बचत एवं सावधि जमा के अतिरिक्त)	10-₹50,000 से अधिक की शेष राशि वाला खाता	11-बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर का क्रय	12-किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड को जारी किए जाने के लिए आवेदन	13-होटल को भुगतान	14-किसी विदेश यात्रा के संबंध में भुगतान	15-क्रय के लिए भुगतान या भारत के बाहर धन-प्रेषण	
16-म्यूचुअल फंड या उसकी किसी युनिट के क्रय के लिए भुगतान	17-शेयर अधिग्रहित करने के लिए भुगतान	18-डिबेंचर या बॉन्ड अधिग्रहित करने के लिए भुगतान	19-जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में भुगतान	20-किसी कंपनी के शेयरों का विक्रय	21-कंपनी के शेयरों का क्रय	22-उपरोक्त वर्गीकृत नहीं	

कॉलम 19बी में अनुमानित कुल आय कर के लिए भारत अधिकतम राशि से अधिक होने के मामले में, व्यक्ति के लिए पैन हेतु आवेदन करना, मद 18 को पूर्ण करना एवं आवेदन जमा करने का साक्ष्य देना आवश्यक है.